# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

**पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस**

मुकदमा नं0 12/2024

पूनम वर्मा पत्नि स्व0 बिरम चंद वर्मा जाति बलाई निवासी अगरपुरा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र मेवाराम
2. विनोद कुमार पुत्र श्रवण लाल
3. कौशल्या देवी पुत्री श्रवण लाल
4. सीमा देवी पुत्री श्रवण लाल
   समस्त जाति बलाई निवासी अगरपुरा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर
5. तहसीलदार, जोबनेर
6. उपपंजीयक जोबनेर

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट**

उपस्थित :– श्री रामसिंह वकील प्रार्थीया

श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 14/05/2025

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 75 में वर्णित आराजी खसरा नं. 1998/0.03, 2179/6.80 तथा खाता संख्या 76 में वर्णित आराजी खसरा नं0 1999/4.33 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 रिकार्ड अनुसार खातेदार दर्ज है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थीया के पति एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का जन्म से ही 1/5 हिस्से का हक था। उक्त आराजी वादीया के पति स्व0 बिरमचंद व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की पुश्तैनी आराजी है जो प्रवितादी सं0 1 को स्व0 मेवाराम की विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादीया के पति बिरमचंद का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार स्व0 मेवाराम के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीया प्रतिवादी सं0 1 के साथ काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग करती आ रही है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 के व्यवहार

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

में परिवर्तन आ गया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01ल04 प्रार्थीया को वेदखल कर समस्त भूमि का बेचान की धमकी देते रहते है। इसी आशय से प्रतिवादी सं0 1ल04 के साथ दिनांक 1.02.2024 को वादग्रस्त भूमि पर कुछ अजनवी व्यक्ति आये और प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का मनचाही जगह से बेचान करने का सौदा करने लगे तथा वादीया को धमकी दी कि इस जमीन में से तुझे कोई हिस्सा नहीं देगें। इसलिए वादीया को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादीया को उक्त पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर बेदखल कर दिया व खुर्द बुर्द कर विक्रय कर अन्यच को काबिज करवा दिया तो वादीया को असहनीय हानि होगी तथा वह अपनी पैतृक सम्पति से वंचित हो जायेगे जिससे वादीया को काफी असुविधा होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने सुनवाई वाद पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खाता संख्या 75 में वर्णित आराजी खसरा नं. 1998/0.03, 2179/6.80 तथा खाता संख्या 76 में वर्णित आराजी खसरा नं0 1999/4.33 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर मे प्रार्थीया–वादीया को बेदखल नहीं करे, न कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे, ना ही उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को विकय/हस्तानन्तरण नहीं करें। एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादीया प्रतिवादी/अप्रार्थी क संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीया का हिस्सा होना व वादीया का आराजी में 1/5 हिस्से में कब्जे काश्त होना गलत है। वादग्रसत आराजी पर वादीया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। सम्पुर्ण आराजी में प्रवितादी/अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी वादीया की पुश्तैनी आराजी नहीं है, आराजी पर वादीया का कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 01.02.2024 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वादीया वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में नहीं है, वादीया किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में रहती है। वादीया वादग्रस्त भूमि जहां स्थित है वहां निवास भी नहीं करती है तथा वादीया ने अपना सम्पूर्ण अधिकार छोडकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लिव इन

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

में रह रही है। वादीया को वाद पेश करने से कोई सुविधा का संतुलन नहीं है व प्रथम दृष्टया केस भी नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम व कब्जे काश्त मे है इसलिए यदि वादीया को अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को अपूर्णीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजी में वादीया किसी भी प्रकार की घोषणा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया वादग्रस्त भूमि जहां स्थित है वहां निवास भी नहीं करती है तथा वादीया ने अपना सम्पूर्ण अधिकार छोडकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही है। वादीया की पुश्तैनी आराजी उसके पीहर पिता की भूमि में है ना कि अपेन ससुर की भूमि में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

**01 प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–78 विवादित आराजी खसरा नं0 1998/0.0379, 2179/6.8030, 1999/4.3372 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं0 01 अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थीया का कथन है कि वादीया प्रतिवादी सं0 1 के साथ काबिज काश्त होकर वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग करती आ रही है। परन्तु प्रार्थीया/वादीया के पति की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के व्यवहार में बदलाव आ गया है तथा वादीया को उसके हिस्से से बेदखल भी करना चाहते है। परन्तु इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए है। अपितु अप्रार्थीगण का यह कथन है कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में वादीया किसी भी प्रकार की घोषणा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया वादग्रस्त भूमि जहां स्थित है वहां निवास भी नहीं करती है तथा वादीया ने अपना सम्पूर्ण अधिकार छोडकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही है। इस संबंध में अप्रार्थीगण ने वादीया/प्रार्थीया द्वारा लिखित रजिस्टर्ड शपथ पत्र (सहमति पत्र) की प्रति पेश कि गयी। प्रस्तुत शपथ पत्र (सहमति पत्र) के अनुसार वादीया ने शपथ पूर्वक यह बयान किया है कि "मेरा मेरे पति स्व0 बिरमचन्द के परिवार वालों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा ना ही भविष्य में रहेगा। मैं भवष्यि में मेरे पति स्व0 बिरमचन्द के परिवार वालों के खिलाफ भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं करूंगी। जिसके संबंध में मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं।" ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को भूमि से बेदखल करने के तथ्य गलत है। यह तथ्य शपथ पत्र (सहमति पत्र) के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीया अपने कथनों को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

**02 सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–78 विवादित आराजी खसरा नं0 1998/0.0370, 2179/6.8030, 1999/4.3372 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं0 01 अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थीया के शपथ पत्र (सहमति पत्र) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया वर्तमान में वादग्रस्त आराजी जहां स्थित है, वहां निवासरत नहीं है तथा ना ही विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। इसलिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित नही है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

**03 अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 08/02/2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर